भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 996

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना है

टोल प्लाजा पर अतिरिक्त टोल संग्रह

996. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर राज्य-वार कितने टोल प्लाजा परिचालित हैं;

(ख) उक्त प्लाजाओं में से राज्य-वार कितने प्लाजा अपनी रियायत/अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी परिचालन जारी रखे हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने केरल के त्रिशूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544 पर पालीयेक्करा टोल प्लाजा पर हाल ही में टोल वसूली के संबंध में हुई हिंसा पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) मंत्रालय ने राज्य-वार कितने टोल प्लाजाओं के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने अथवा अधिक वसूली करने के लिए कार्रवाई शुरू की है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के संबंध में वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिसंबर 2025 तक परिचालनरत पथकर प्लाजा का राज्य-वार/ यूटी-वार विवरण **अनुलग्नक क** में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार संग्रह किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के प्रावधान के अनुसार, रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक रियायतग्राही द्वारा संग्रहित किया जाता है, और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार केंद्र सरकार या निष्पादक प्राधिकरण द्वारा संग्रहित किया जाता है। प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित की गई आय भारत

की संचित निधि (सीएफआई) में जमा की जाती है और बजटीय आवंटन के माध्यम से प्रदान की गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे के रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

(ग) से (घ) केरल के त्रिशूर जिले में एनएच-544 पर पालियक्कारा शुल्क प्लाजा के संचालन को फिर से शुरू करने के बाद पांच घटनाएं सामने आईं, जो मुख्य रूप से फास्टैग से संबंधित मुद्दे, स्वचालित बूम बैरियर/ कैमरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और शुल्क भुगतान के बिना वाहन के जबरन गुजरने के कारण हुईं। नतीजतन, घटनाओं के संबंध में पुलिस के पास शिकायतें दर्ज की गईं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण में राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 और रियायत समझौते के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, सरकार अपने निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शुल्क प्लाजा की निगरानी करती है। इसके अलावा, नियमों या संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाए गए शुल्क-संग्रहण एजेंसियों का विवरण **अनुलग्नक ख** में दिया गया है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के संबंध में राजमार्ग प्रयोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक ग** में दिया गया है।

अनुलग्नक क

"टोल प्लाजा पर अतिरिक्त टोल संग्रह" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिसंबर, 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिचालनरत शुल्क प्लाजा का राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल**
1	आंध्रप्रदेश	85
2	असम	10
3	बिहार	42
4	छत्तीसगढ़	24
5	दिल्ली और ईपीई	2
6	गोवा	1
7	गुजरात	62
8	हरियाणा	76
9	हिमाचल प्रदेश	5
10	जम्मू एवं कश्मीर	6
11	झारखंड	22
12	कर्नाटक	66
13	केरल	8
14	मध्य प्रदेश	97
15	महाराष्ट्र	100

16	मेघालय	4
17	उड़ीसा	32
18	पंजाब	43
19	राजस्थान	174
20	तमिलनाडु	75
21	तेलंगाना	35
22	उत्तर प्रदेश	139
23	उत्तराखंड	7
24	पश्चिम बंगाल	29

अनुलग्नक ख

"टोल प्लाजा पर अतिरिक्त टोल संग्रह" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उन शुल्क वसूली एजेंसियों का विवरण जिनके खिलाफ नियमों या संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के लिए शास्ति लगाया गया है:

क्र. सं.	**प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नाम**	**परियोजना का नाम**	**पीआईयू/आरओ**	**राज्य**	**संविदा करार के उल्लंघन के कारण लगाए गए वित्तीय शास्ति (रुपये में)**	**टिप्पणी**
1.	महौरी (किमी. 147.705)	मध्य प्रदेश में एनएच-75 का बमीठा-सतना खंड	छतरपुर/जबलपुर	मध्य प्रदेश	1,00,000	शौचालय ब्लॉकों के खराब/ रखरखाव नहीं होने के कारण
2.	उजरा (किमी. 180.260)	मध्य प्रदेश में एनएच-86 का सागर-छत्रपुर सड़क खंड	छतरपुर/जबलपुर	मध्य प्रदेश	2,00,000	
3.	ओढाकी पेपखर (किमी. 262.100)	मध्य प्रदेश में एनएच-30 का रीवा-कटनी-जबलपुर खंड	कटनी/जबलपुर	मध्य प्रदेश	3,00,000	दुर्व्यवहार/ जनता के साथ दुर्व्यवहार, कर्मचारियों की अपर्याप्त तैनाती के कारण
4.	गोरागाँव (42.700 किमी)	मध्य प्रदेश में एनएच-552ई का मिहोना से लाहर से डाबोह तक का खंड	ग्वालियर/जबलपुर	मध्य प्रदेश	1,00,000	शुल्क प्लाजा पर परिचालन पारदर्शिता की कमी के कारण

क्र. सं.	प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नाम	परियोजना का नाम	पीआईयू/आरओ	राज्य	संविदा करार के उल्लंघन के कारण लगाए गए वित्तीय शास्ति (रुपये में)	टिप्पणी
5.	रति रामपुरा (किमी. 267.4)	एनएच 552 एक्सटेंशन का मोरेना से पोरसा खंड		मध्य प्रदेश	2,00,000	21.02.2024 से छह (06) महीनों के लिए निषेधित किया गया है। अनधिकृत प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क का संग्रह और परिचालन पारदर्शिता का उल्लंघन।
6.	मोहतारा (किमी. 426.967)	मध्य प्रदेश में एनएच- 7 (नया एनएच-30) रीवा-कटनी-जबलपुर खंड	जबलपुर/ जबलपुर	मध्य प्रदेश	7,20,000	प्रयोक्ता शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर जुर्माना
7.	नेवली (किमी. 54.100)	मध्य प्रदेश में एनएच-752बी का ब्याओरा से मकसूदनगढ़ खंड	विदिशा/ भोपाल	मध्य प्रदेश	1,00,000	शुल्क प्लाजा के खराब/ रखरखाव नहीं होने के कारण
8.	जोहरिया शेख (165.350)	मध्य प्रदेश में एनएच 86 एक्सटेंशन (नया एनएच 146) का भोपाल-सागर-सांची खंड	विदिशा/ भोपाल	मध्य प्रदेश	1,00,000	
9.	उंडेवाड़ी (सुपे) (18.585 किमी)	महाराष्ट्र में एनएच-965जी का पटास-बारामती खंड	पंढरपुर/मुंबई	महाराष्ट्र	3,45,000	प्रयोक्ता शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर जुर्माना

क्र. सं.	**प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नाम**	**परियोजना का नाम**	**पीआईयू/आरओ**	**राज्य**	**संविदा करार के उल्लंघन के कारण लगाए गए वित्तीय शास्ति (रुपये में)**	**टिप्पणी**
10.	उंडेवाड़ी (सुपे) (18.585 किमी)	महाराष्ट्र में एनएच-965जी का पटास-बारामती खंड	पंढरपुर/मुंबई	महाराष्ट्र	1,00,000	शौचालय ब्लॉकों के रखरखाव न होने के कारण
11.	लच्छीवाला (किमी 167.560)	उत्तराखंड में एनएच-58 (नया एनएच-34) के हरिद्वार-देहरादून खंड के के किमी 167.560 पर	वसंत विहार/ उत्तराखंड	उत्तराखंड	6,00,000	प्रयोक्ता शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर जुर्माना
12.	नूरुद्दीनपुर (40.000 किमी)	उत्तर प्रदेश में एनएच-321 का रायबरेली-जौनपुर खंड	रायबरेली/वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1,00,000	प्लाजा स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार/अनैतिक व्यवहार के कारण
13.	इटौरा बुजुर्ग (किमी 25.165)	उत्तर प्रदेश में एनएच-24बी का रायबरेली-इलाहाबाद खंड		उत्तर प्रदेश	1,00,000	
14.	अंडियारी (किमी 85.195)	उत्तर प्रदेश में एनएच-24बी का रायबरेली-इलाहाबाद खंड		उत्तर प्रदेश	2,00,000	
15.	जिंदपुर (किमी 229.006)	उत्तर प्रदेश में एनएच-232 का रायबरेली से बांदा खंड		उत्तर प्रदेश	2,00,000	
16.	जिंदपुर (किमी 229.006)	उत्तर प्रदेश में एनएच-232 का रायबरेली से बांदा खंड		उत्तर प्रदेश	5,00,000	शिकायतों का समाधान न होने के कारण

क्र. सं.	प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नाम	परियोजना का नाम	पीआईयू/आरओ	राज्य	संविदा करार के उल्लंघन के कारण लगाए गए वित्तीय शास्ति (रुपये में)	टिप्पणी
17.	कैथी (28.585 किमी पर)	एनएच-29 का वाराणसी-गोरखपुर खंड	वाराणसी/ वाराणसी	उत्तर प्रदेश	31.05.2024 से प्रभावी 6 महीने के लिए निषेधित किया गया और अनुबंध समझौता समाप्त किया गया।	अधिक भार वाले वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क की अधिक वसूली, शुल्क की अत्यधिक वसूली और सड़क प्रयोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण।
18.	पुडापाड़ा और निलडुंगरी (551.800 किमी)	ओडिशा में एनएच-6 (नया एनएच-53) का टेलीबानी से संबलपुर तक का खंड	संबलपुर, ओडिशा	ओडिशा	2,00,000	नकद वसूली के संबंध में गलत जानकारी के कारण
19.	पुडापाड़ा और निलडुंगरी (551.800 किमी)	ओडिशा में एनएच-6 (नया एनएच-53) का टेलीबानी से संबलपुर तक का खंड	संबलपुर, ओडिशा	ओडिशा	22,50,000	प्रयोक्ता शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर जुर्माना
20.	बलांगीर (15.250 किमी)	ओडिशा में एनएच-57 का बोलांगीर-खुर्दा खंड	संबलपुर, ओडिशा	ओडिशा	1,00,000	साइन बोर्ड के रखरखाव न होने के कारण
21.	काडलीगढ़ (102.576 किमी)	ओडिशा में एनएच-153बी का नक्तीदेउली से बौध तक का खंड	संबलपुर/ ओडिशा	ओडिशा	4,00,000	शुल्क प्लाजा के बंद होने के कारण

क्र. सं.	प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नाम	परियोजना का नाम	पीआईयू/आरओ	राज्य	संविदा करार के उल्लंघन के कारण लगाए गए वित्तीय शास्ति (रुपये में)	टिप्पणी
22.	पद्मनवपुर (73.425 किमी)	ओडिशा में एनएच-18 (पुराना एनएच-5) का बालासोर से बारीपाड़ा से झरपोखरिया तक का खंड	चंडीखोल/ ओडिशा	ओडिशा	1,50,000	प्रयोक्ता शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर जुर्माना
23.	बंथड़ी	एनएच-458 खंड के निम्निजोधा-डेगाना-मेरता शहर का दो लेन वाला मार्ग, जिसमें पेव्ड शोल्डर सुविधा उपलब्ध है।	अजमेर/राजस्थान	राजस्थान	1,00,000	आस-पास के शौचालय ब्लॉकों का रखरखाव/मरम्मत, जिसमें उपभोग्य वस्तुओं की वसूली भी शामिल है।
24.	तामदोली	एनएच-458 खंड के निम्निजोधा-डेगाना-मेरता शहर का दो लेन वाला पेव्ड शोल्डर सहित मार्ग।	अजमेर/राजस्थान	राजस्थान	2,00,000	उच्च छूट और उल्लंघनों के लिए

अनुलग्नक ग

"टोल प्लाजा पर अतिरिक्त टोल संग्रह" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 996 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान एनएच पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार, राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2023	2024	2025	कुल
1	आंध्रप्रदेश	398	1,590	2,701	4,693
2	असम	577	818	1,020	2,415
3	बिहार	249	1,363	2,412	4,024
4	छत्तीसगढ़	237	483	705	1,425
5	दिल्ली	119	591	1,035	1,745
6	गुजरात	1,131	3,307	5,324	9,762
7	हरियाणा	2,752	7,663	12,208	22,623
8	हिमाचल प्रदेश	29	246	453	727
9	जम्मू एवं कश्मीर	940	1,083	1,174	3,197
10	झारखंड	184	576	961	1,701
11	कर्नाटक	664	2,602	4423	7,681
12	केरल	55	215	364	634
13	मध्य प्रदेश	903	2,980	4,924	8,797
14	महाराष्ट्र	997	3,254	5,355	9,606
15	उड़ीसा	240	645	1,019	1,904
16	पंजाब	1,673	4,103	6,337	12,113
17	राजस्थान	1,116	8,951	16,357	26,424
18	तमिलनाडु	427	2,239	3,943	6,609
19	तेलंगाना	220	730	1,205	2,155
20	उत्तराखंड	202	948	1,648	2,798
21	पश्चिम बंगाल	2	820	1,379	2,421
22	उत्तर प्रदेश	5,922	9,136	11,918	26,976
कुल		**19,242**	**54,343**	**86,845**	**1,60,430**

*****